न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम(अलवर)

प्रार्थना पत्र संख्या:- 74/18

सरस्वती बनाम रचना

30.04.2018

प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 आर.टी.एक्ट. के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एव सलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई, सुविधा का सन्तुलन एव ना पूर्ति होने वाली क्षति की सम्भावना प्रार्थी के हक मे प्रतीत होती है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक 28/05/18 तक इस अमर से जारी की जाती है कि वो विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 500/4-00, 444/4-15 बीघा वाके ग्राम जकोपुर तह0 कोटकासिम जिला अलवर का जब तक रिकोर्डड तकासमा ना हो जाये तब तक कही दीगर जगह रहन-बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही विवादित आराजीयात के किसी भी जुज पर किसी भी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण ना करे, ना ही प्रार्थीया के सामलाती कब्जा काश्त मे मजाहमत व मदाखलत पैदा करे, ना जब्रन कब्जा करे, राजस्व रिकोर्ड एवं मोका की यथावत स्थिति कायम रखे, ना ही अप्रार्थी सं0 8 विवादित आराजीयात की बाबत किसी भी प्रकार के दस्तावेजात पंजिबद्ध व तस्दीक करे। जो भी उज्र हो हाजिर अदालत होकर पेश करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 28/05/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

28/5/18 मामला कैम्प कोर्ट में पेश हुआ। [illegible] राजस्व रिकार्ड [illegible] यथास्थिति [illegible] पेश हो।

Scanned by CamScanner